न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व अपील संख्या 01/2023 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलाण्ट	बनाम	उत्तरदातागण
उतमाराम पुत्र पारूराम जाति भील, निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत उण्डू 2. अर्जुनराम पुत्र चुन्नीलाल निवासी कपुरियावाला के पास, एरिनपुरा रोड़ तहसील सुमेरपुर, जिला पाली 3. अचलाराम पुत्र नारणाराम 4. अन्नाराम पुत्र नानगाराम 5. किरताराम पुत्र बगताराम 6. गुमनाराम पुत्र बगताराम 7. चेतनराम पुत्र नानगाराम 8. चेनाराम पुत्र नानगाराम 9. तिलोकाराम पुत्र नानगाराम 10. नाथूराम पुत्र नानगाराम 11. निम्बाराम पुत्र नारणाराम 12. पेमाराम पुत्र नारणाराम 13. पूरी पत्नी नानगाराम 14. मगाराम पुत्र बगताराम 15. रेंवताराम पुत्र नानगाराम 16. शिवनाथराम पुत्र नानगाराम 17. हंजारीराम पुत्र नारणाराम 18. हरखाराम पुत्र बगताराम जाति भील, निवासी उण्डू तहसील शिव, जिला बाड़मेर 19. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 20. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता अपीलाण्ट – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 20.12.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलाण्ट व उत्तरदाता संख्या 2 से 18 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 573 रकबा 20.6551 हैक्टेयर के मौजा उण्डू, पटवार मण्डल उण्डू, तहसील शिव में आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में से अपीलाण्ट ने उत्तरदाता संख्या 2 से उनके हिस्सा 1/3 में से 42 बीघा भूमि के प्रतिफल स्वरूप रूपये अदा कर जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से दिनांक 23.11.2022 को खरीद की गई। उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में उक्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर उपपंजीयक शिव में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 240 में पृष्ठ संख्या 16 क्रम संख्या 202203064102464 पर पंजीबद्ध करवाया गया है तथा बाद बैचान विक्रेता उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा मौके पर अपीलाण्ट को बैचानसुदा 42 बीघा भूमि पर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया, जिस पर अपीलाण्ट मौके पर काबिज काश्त है। उक्त बैचाननामा की प्रति अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी को नामांतरकरण पारित करने हेतु दी गई, जिस पर पटवारी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2841 पर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दिनांक 19.12.2022 को नामांतरकरण पारित करवाने हेतु ग्राम पंचायत उण्डू के समक्ष पेश किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा बैचान दस्तावेज व भौतिक कब्जे के विरूद्ध जाकर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये मनगढंत तथ्यों के आधार पर उक्त नामांतरकरण संख्या 2841 दिनांक 20.01.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार के गलत व विधि विरूद्ध नामांतरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलाण्ट को उक्त त्रूटिपूर्ण अस्वीकृत नामांतरकरण का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 14.02.2023 को होने से यह अपील

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

वास्तविक ज्ञान की तारीख से अन्दर म्याद पेश किया गया है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर मौजा उण्डू के खसरा नम्बर 573 रकबा 20.6551 हैक्टेयर में बैचान पत्र दिनांक 23.11.2022 के अनुसार भरे गये अस्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2841 को निरस्त कर अपीलाधीन आराजी के राजस्व रेकर्ड में बैचान पत्र दिनांक 23.11.2022 के अनुसार अपीलाण्ट पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उत्तरदातागण को जरीये सम्मन जबाव हेतु तलब किया गया। जिस पर उत्तरदातागण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली मे अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मौजा उण्डू के खसरा नम्बर 573 रकबा 20.6551 हैक्टेयर में बैचानपत्र दिनांक 23.11.2022 के अनुसार भरे गये नामांतरकरण संख्या 2841 को सरपंच ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अपीलाण्ट का सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर बिना मौका मुआयना किये अस्वीकृत करने के आदेश दिनांक 20.01.2023 को निरस्त किया जाकर उपपंजीयक कार्यालय शिव में दिनांक 23.11.2022 को निष्पादित बैचानपत्र अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

हमने अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2841 के संदर्भ में बैचान दस्तावेज क्रम संख्या 202203064102464 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट उतमाराम द्वारा बैचानकर्ता उत्तरदाता संख्या 2 अर्जुनराम से भूमि खरीद की गई है, जिसमें बैचान पत्र के बिन्दु संख्या 6 में बैचानकर्ता द्वारा भौतिक रूप से कब्जा भी खरीददार अपीलाण्ट को सुपुर्द करने का कथन किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामांतरकरण को मौके पर कब्जा हस्तांतरण नहीं होने का हवाला देते हुए अस्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध एंव आधारहीन प्रतीत होता है। साथ ही अपीलाण्ट खरीददार को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाकर प्राकृतिक सिद्धातों की अवहेलना की गई है। उत्तरदातागण को नोटिस तामिली उपरांत जवाब व सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त स्थिति में अपीलाधीन अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2841 विधि विरूद्ध एवं आधारहीन होने से उक्त नामांतरकरण को निरस्त किया जाकर पुनः नामांतरकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा उण्डू, तहसील शिव के खसरा नम्बर 573 रकबा 20.6551 हैक्टेयर भूमि में अपीलाधीन अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2841 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में नियमानुसार जांच कर बैचान दस्तावेज क्रम संख्या 202203064102464 अनुसार पुनः नये सिरे से विधि सम्मत सही नामान्तरकरण पारित करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 20.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner